

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज०)
पीठासीन अधिकारी: श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 03/2014

बउनवान

1. मोहन उम्र 49 वर्ष पुत्र श्री गोपाल जाति माली निवासी डाबरी काकाजी तहसील अन्ता जिला बारां (राज.)
2. नन्दकिशोर उम्र 54 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल जाति माली निवासी डाबरी काकाजी तहसील अन्ता जिला बारां (राज.)

(अपीलांटगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता जिला बारां

(रेंस्पोंडेंट)



अपील अन्तर्गत धारा 75 एल०आर०एक्ट
इन्तकाल क्रमांक 441 दिनांक 27.12.2013

उपस्थिति :- 1. श्री कृष्णकांत शर्मा अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांटगण)
(रेंस्पोंडेन्ट)

निर्णय दिनांक 26.05.2022

अपीलांटगण द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांटगण के खाते एवं कब्जे काश्त की शामिलती पैतृक आराजी ख.नं. 204 रकबा 0.15 है., 214 रकबा 0.11 है., 215 रकबा 0.11 है., 225 रकबा 0.10 है., 226 रकबा 0.10 है., 548 रकबा 0.45 है., 549 रकबा 0.64 है., 550 रकबा 0.86 है., 623 रकबा 1.31 है., 653 रकबा 0.55 है., 797/668 रकबा 0.13 है. कुल किता 11 रकबा 4.51 है. वाके माल डाबरी काकाजी तहसील अन्ता में स्थित है। रेस्पोंडेन्ट द्वारा दिनांक 27.12.2013 को अपीलांट को सूचित किये बिना उक्त आराजी में परिवर्तन करते हुए अपीलांट की उक्त आराजी में से 1.75 है. आराजी कम कर दी एवं उक्त खाते में मात्र खसरा नंबर 204 रकबा 0.15 है., 215 रकबा 0.11 है., 225 रकबा 0.10 है., 548 रकबा 0.45 है. 549 रकबा 0.64 है., 623 रकबा 0.31 है. कुल किता 6 कुल रकबा 2.76 है. आराजी बतौर खातेदार दर्ज कर दी। रेस्पोंडेन्ट द्वारा उक्त कार्यवाही की न तो अपीलांट को कोई सूचना दी एवं न ही उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिया। रेस्पोंडेन्ट द्वारा कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की गरज से विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए बदनियति पूर्वक उक्त इन्तकाल संख्या 441 दिनांक 27.12.2013 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांटगण के खाते में पुनः 4.51 है. आराजी दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोंडेन्ट को जर्ज्य सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से परोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

बहस के स्तर पर प्रकरण प्रथम बार दिनांक 01.10.2014 को नियत हुआ। तब से अभिभाषक अपीलांट बहस हेतु समय चाहते रहे। अंतिम अवसर दिये जाने के उपरांत भी आज बहस हेतु उपस्थित नहीं हुये। ऐसी स्थिति में हमने एकपक्षीय बहस परोकार सरकार की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

दौराने एकपक्षीय बहस परोकार सरकार ने कथन किया कि न्यायालय सहायक कलक्टर, बारां द्वारा किये गये बंटवारे को माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा खारिज किये जाने पर पूर्व स्थिति अनुसार नामान्तरकरण संख्या 441 दिनांक 27.12.2013 दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया है। अतः अपीलांटगण की अपील निरस्त फरमावें।

हमने एकपक्षीय बहस परोकार सरकार पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपात अवलोकन किया। गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि न्यायालय सहायक कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 45/2001 बउनवान प्रभूलाल बनाम कन्हैयालाल वगैरह में पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 04.01.2002 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 15.01.2003 न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 498/2002 एवं 178/2004 बउनवान मु. देवबाई वगैरह बनाम प्रभूलाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 13.08.2001 द्वारा खारिज करने के आधार पर पुनः पूर्वास्थिति अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। पूर्व स्थिति अनुसार अपीलांटगण के खाते में 2.76 है। भूमि ही दर्ज थी तथा उसी अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। अपीलांटगण अपने खाते 4.51 है। भूमि मानते हैं परन्तु इसका कोई सबूत अपीलांटगण द्वारा पेश नहीं किया गया है। इसके अलावा खसरा नंबर ग्राम डाबरी काकाजी की आराजी खसरा नंबर 214, 226, 550, 653 एवं 797/668 जो अपीलांट की खातेदारी में दर्ज नहीं किये गये उक्त खसरा नंबर किसके खातेदारी में दर्ज हैं यह भी अपीलांटगण द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांटगण खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांटगण खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां
बारां (राज.)